न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र नम्बरः– 19 / 2023

अनवान : –

1. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार(राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रार्थी**

बनाम्

1. मंजू पुत्री हीराराम हि0 799 / 25400 जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. सुनिता पुत्री हीराराम हि0 799 / 6350 जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. **राजपेरोकार**

निर्णय दिनांकः 22/01/26

तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रौही मौजा 26 एनटीआर के खाता स0 134 की कुल 3.1750 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें अप्रार्थीगण भी संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि से अवैध रूप से पेड़ कटाने का फर्द मौका पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त हुआ।

हल्का पटवारी जसाना द्वारा फर्द मौका / रिपोर्ट दिनांक 04.06.2023 को पेश किया जिसके अनुसार रौही मौजा 26 एनटीआर के खाता स0 134 के प0न0 325 / 414 (10) के किला न0 1/ इस प्रकार 01 हरे खेजड़ी वृक्ष बिना किसी सक्षम अधिकारी के स्वीकृति आदेश के , 1/2, 2/1, 2/2 के मौके पर 4 बेरड़ी, 2 टाली व 3 जांटी के पेड़ इस प्रकार कुल 9 हरे पेड़ अप्रार्थीगण स0 1 ता 2 द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के काटा गया है। उक्त वृक्ष हसन पुत्र रजाक मोहम्मद को सुपुर्दगी में दिया गया है। सुपुर्दगीकार को पेड खुर्द बुर्द न हो इसकी हिदायत दी गई। उक्त हरे वृक्ष हटाने सम्बधी कोई स्वीकृति/आज्ञा अप्रार्थी द्वारा प्राप्त नहीं की है। हरे वृक्ष को बिना स्वीकृति के हटाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा रोक (प्रतिबन्ध) लगाई हुई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृत्ति के स्वयं की खातेदारी भूमि से हरे वृक्ष काटने पर भारी से भारी जुर्माना एंव मौके पर पड़े उक्त पेड़ो की निलामी की कार्यवाही के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का गहराई से अध्ययन किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार हल्का पटवारी हल्का पटवारी रामसरा द्वारा फर्द मौका / रिपोर्ट दिनांक 04.06.2023 को पेश किया जिसके अनुसार जिसके अनुसार रौही मौजा 26 एनटीआर के खाता स0 134 के प0न0 325/414 (10) के किला न0 1/ इस प्रकार 01 हरे खेजड़ी वृक्ष बिना किसी सक्षम अधिकारी के स्वीकृति आदेश के , 1/2, 2/1, 2/2 के मौके पर 4 बेरड़ी, 2 टाली व 3 जांटी के पेड़ इस प्रकार कुल 9 हरे पेड़ अप्रार्थीगण स0 1 ता 2 द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के काटा गया है। प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति के पेड़ो को काटा गया है। बिना स्वीकृति के हरे पेड़ काटना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84 के उल्लंघन कारित करने पर अप्रार्थी स0 1 ता 2 को 900/- (अखरे एक सौ रूपये मात्र) प्रति पेड़ के हिसाब से शास्ति धारा 86 आरटीए के अन्तर्गत अध्यारोपित की जाती है। अप्रार्थीया द्वारा उक्त 9 पेड़ की राशि 900/- (अखरे एक सौ रूपयें मात्र) राजकोष में जमा करवावें एवं उक्त पेड़ों की एवज में दुगुने पेड़ अर्थात 18 पेड़ खेजड़ी/शीशम के लगाने हेतु पाबन्द किया जाता है एवं तहसीलदार नोहर को पाबन्द किया जाता है कि बगैर अनुमति से काटे गये खेजड़ी व अन्य पेड़ों की जब्तशुदा लकड़ी की नियमानुसार निलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें व उक्त समस्त कार्यवाही 10 दिवस में सम्पन्न की जाकर मय रसीद आपके द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पृथक से पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 22/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:00 IST
Reason: SelfAttested